

20-बी
रेकेन्डू-(हिन्दी) 13 व

मध्यप्रदेश शासन
नाप-तौल विभाग

*बांट और माप मानक अधिनियम, 1976 बांट और माप मानक अधिनियम, 1985 अधिनियम, 1985

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

जप्ती मेमो

पुस्तक क्रमांक.

1047

प्रति,

व्यापारी का नाम तथा पता

अनुक्रमांक. 1

दिनांक.

समय.

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

*बांट और माप मानक अधिनियम, 1976 बांट और माप मानक अधिनियम, 1985 अधिनियम, 1985 के अंतर्गत आपके

निम्नलिखित बांट, माप आदि उल्लेखित कारणों के आधार पर जप्त किये गये/रोके गये हैं :--

जप्त किये गये/रोके गये, बांटों, मापों, तौलने तथा मापने के उपकरणों/दस्तावेजों/
सीलबंद डिब्बों का वितरण.

जप्ती रोकने का कारण

जिसमे जप्त हुआ उसके हस्ताक्षर.

गवाहों के हस्ताक्षर, नाम तथा पते :--

हस्ताक्षर :--

1.

2.

नाम तथा पता

1.

2.

निरीक्षक, नाप-तौल

केन्द्र. जिला

संभाग

क्रमांक.

दिनांक.

प्रतिलिपि सहायक नियंत्रक, नाप-तौल

संभाग

की ओर सूचनार्थ.

निरीक्षक नाप-तौल

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिये.